UPMZ010034662025

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।**

**पीठासीन अधिकारी–** ( Garima Singh-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224**

**<u>क्रिमिनल रिवीजन सं० 116/2025</u>**

वर्धमान ट्रेडर्स एण्ड कम्पनी द्वारा प्रोपराईटर अनिल अग्रवाल स्थित प्रकाश चौक पीर वाली गली, जिला मुजफ्फरनगर।

\- ..... रिवीजनकर्ता

**बनाम**

1. उ 0 प्र 0 सरकार द्वारा डी0 जी0 पी0।

2. आरिफ पुत्र मौहम्मद अब्बास निवासी ग्राम संधावली परगना व तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर।

3. मौहम्मद इंतजार पुत्र मौहम्मद मुर्तजा हुसैन निवासी 996/76/29 मक्की नगर, साउथ खालापार, मुजफ्फरनगर। ... ... ... ... ... ... ..उत्तरदातागण।

**<u>निर्णय</u>**

**1.** यह दाण्डिक निगरानी परिवाद संख्या **40983/2023 वर्धमान ट्रैडर्स आदि बनाम आरिफ, धारा 420, 406, 506 भा0 द 0 सं0 , थाना सिविल लाईन, जिला मुजफ्फरनगर** में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित **18.03.2025** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

**2.** निगरानीकर्ता द्वारा इन आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.03.2025 जो माननीय अवर न्यायालय ने पारित किया है, इमप्रोपर, इनजस्टिफाईएबल, वैकसेसियश एवं आर्बीट्रेरी रूप से पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। रिवीजनकर्ता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के बीच सम्पत्ति को गिरवी के लिये सहमति बनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रिवीजनकर्ता के पास बतौर इकवीटेबल मोरगेज एवं मोरगेज बाई डिपोजिट ऑफ

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.07.10 12:25:52 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court-6
MZN

टाईटिल डीड्स, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में हुए असल बैनामा दिनांकित 04.05.2017 को जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट सम्पत्ति स्थित ग्राम संधावली बशक्ल प्लाट पैमाईशी पूरब 72 फुट, पश्चिम 72 फुट, उत्तर 20 फुट व दक्षिण 20 फुट कुल 160 वर्गगज स्थित खसरा नम्बर 244/1 ग्राम संधावली परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर का पूर्ण मालिक व काबिज था, के असल बैनामे को रिवीजनकर्ता के पास रखकर अंकन 2,00,000/-रूपये इस शर्त पर लिये कि वह 6 माह पश्चात मूलधन मय ब्याज सहित हर सूरत में रिवीजनकर्ता को लौटा देगा। उक्त बन्धक के सम्बन्ध में रिवीजनकर्ता एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य घोषणा पत्र तारीखी 16.04.2019 तहरीर एवं तकमील नोटिस हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 16.04.2019 के बाद से रिवीजनकर्ता को न ही मूल धन वापस किया न ही घोषणा पत्र तारीखी दिनांक 16.04.2019 के अनुसार कोई किश्त अदा की गयी। परिवादी/रिवीजनकर्ता ने एक  सिविल सूट वाद संख्या 139/2022 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन में दाखिल कर रखा है, जिसमें भी विपक्षीगण उपस्थित नहीं हो रहे हैं, एवं बार-बार प्रकाशन एवं समन भेजे जाने पर भी उनकी तामील नहीं हो पा रही है। रिवीजनकर्ता ने रेस्पोडन्ट संख्या 1 व 2 से परेशान होकर एवं उनके साथ धोखाधड़ी, विश्वास भंग, छल, कपट को देखते हुए दिनांक 11.12.2023 को सी0 जे0 एम 0 महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.03.2023 को पत्रआवली आदेश हेतु नियत थी, परन्तु  अवर न्यायालय द्वारा आर्बीट्रेरी रूप से बिना तथ्यो का अवलोकन किये और आदेश में इस बात को लिखते हुए पत्रावली खारिज कर दी कि रिवीजनकर्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट पर अनुचित दबाव बनाने के लिये किया जा रहा है। उक्त तथ्यो के आधार पर रिवीजनकर्ता का रिवीजन स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश 18.03.2026 निरस्त फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. निगरानीकर्ता तथा विपक्षी संख्या-3 उपस्थित आए। पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी विपक्षी संख्या-2 उपस्थित नहीं आया है।

**4.** विपक्षी संख्या-3 की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा विपक्षी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से निगरानी योजित की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5- निगरानीकर्ता व विपक्षी संख्या-3 को सुना तथा अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली व निगरानी की पत्रावली का परिशीलन किया।

6- पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता/परिवादी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 18.03.2025 के विरूद्ध योजित की गई है, तथा कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता/परिवादी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद इस आशय का योजित किया गया था कि परिवादी इलैक्ट्रॉनिक सामान की ट्रैंडिग करता है। परिवादी व विपक्षीगण के मध्य इकवीटेबल मोरगेज एवं मोरगेज बाई डिपोजिट ऑफ टाईटिल डीड्स का अनुबंध हुआ था, जिसके माध्यम से विपक्षी संख्या-2 ने अपने पक्के असल बैनामा दिनांकित 04.05.2017 को परिवादी के पास रखकर अंकन 2,00,000/-रूपये इस शर्त पर लिये थे कि 6 माह पश्चात मूलधन मय ब्याज सहित हर सूरत में लौटा देगा। पक्षकारो के मध्य इस बाबत घोषणापत्र दिनांकित 16.04.2019 तहरीर व तकमील हुआ था। विपक्षीगण के द्वारा उक्त घोषणापत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता/परिवादी ने एक सिविल वाद भी योजित कर रखा है, परन्तु उक्त वाद में विपक्षीगण हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से निगरानीकर्ता/परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध दाण्डिक वाद योजित करने के लिये परिवाद न्यायालय में योजित किया है।

7- अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में यह पाते हुए कि दोनो पक्षों के मध्य विवाद बंधक से सम्बन्धित है, जो सिविल प्रकृति का वाद है, जिसमें सिविल वाद लम्बित होने के बावजूद भी परिवादी प्रस्तुत परिवाद दाखिल कर सिविल

प्रकृति के मामले को आपराधिक मामला बनाना का प्रयास कर रहा है, परिवादी का परिवाद निरस्त कर दिया गया।

8- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खॉ (2015) 5 एस 0 सी0 सी0 705** में यह प्रतिपादित किया गया है कि- निगरानी न्यायालय को अवर न्यायालय द्वारा तथ्य के सम्बन्ध में दिये गये निष्कर्ष को, मात्र इस आधार पर परिवर्तित नहीं करना चाहिये, कि समान साक्ष्य के आधार पर दूसरा दृष्टिकोण सम्भव है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि निर्णय **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर (2012) 9, एस 0 सी0 सी0 460,** में यह मत प्रतिपादित किया है कि "सामान्यतया धारा 397 द 0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत निगरानी के क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि के प्रश्न पर ही किया जाना चाहिये। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि निगरानी का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। जब तक कोई विधि के प्रश्न के सम्बन्ध में अवैधानिकता न की गयी हो, तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हृदय रंजन प्रसाद वर्मा व अन्य बनाम बिहार राज्य ए 0 आई 0 आर 0 2000, सुप्रीम कोर्ट 2341 में** यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि, "यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि अनुबंध उल्लंघन एवं धोखाधड़ी के अपराध का अन्तर बहुत महीन है। अनुबंध का मात्र उल्लंघन के लिये धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जबतक कि लेनदेन की शुरूआत में ही कपटपूर्ण या बेईमान इरादा न देखा गया हो। इरादा ही अपराध का मुख्य सार है। किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिये यह आवश्यक है कि उसका इरादा बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण हो। वादा पूरा करने में केवल उसकी विफलता से ऐसे दोषी इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।"

9. प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकर्ता/परिवादी के द्वारा अपने परिवादपत्र में यह कथन किया है कि उसके व विपक्षीगण के मध्य इकवीटेबल मोरगेज एवं मोरगेज

बाई डिपोजिट ऑफ टाईटिल डीड्स का करार हुआ था, जिसके सम्बन्ध में लिखित घोषणापत्र भी निष्पादित किया गया था। परिवादी के कथनों से यह भी परिलक्षित होता है कि विपक्षीगण उक्त करार का समुचित पालन नहीं सुनिश्चित कर सके, जिस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में एक सिविल वाद योजित कर रखा है। परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में यह स्पष्ट किया है कि प्रस्तुत परिवाद उसने अपना पैसा वापस लेने के लिये योजित किया है। परिवादपत्र के साथ सलंग्न किये गये प्रपत्रों से यह भी परिलक्षित होता है कि परिवादी/निगरानीकर्ता व विपक्षीगण के मध्य घोषणापत्र तकमील किया जाकर उसे नोटराईज्ड भी कराया गया, जिससे यह अवधारणा बनाई जा सकती है कि घोषणापत्र निष्पादित करते समय विपक्षीगण का इरादा धोखाधड़ी करने का नहीं था। अब यदि बाद में विपक्षीगण उक्त करार की शर्तो का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो मात्र उनकी विफलता के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि करार करते समय विपक्षीगण का इरादा धोखाधड़ी करने का था। अतः पक्षकारो के मध्य जो वाद है, वह पूर्णतः सिविल प्रकृति का होना परिलक्षित होता है, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारो के मध्य सिविल वाद लम्बित होना बताया भी गया है। विपक्षीगण द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.03.2025 में कोई त्रुटि, अवैधानिकता एवं तात्विक अनियमितता का होना नहीं पाया जाता है। अतः निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 116/2025 वर्धमान टेडर्स बनाम उ0प्र0 राज्य आदि **निरस्त** की जाती है। तदानुसार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा फौजदारी परिवाद संख्या 40983/2023 वर्धमान ट्रेडर्स बनाम आरिफ, अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 भा0द0सं0, थाना सिविल लाईन, जिला मुजफ्फरनगर में पारित आदेश दिनांकित 18.03.2025 पुष्ट किया जाता है। इस

निर्णय की प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को मूल अभिलेख के साथ प्रेषित की जाए। तत्पश्चात् निगरानी की पत्रावली  नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 10.07.2026

**(गरिमा सिंह–।)**
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code–UP06224

निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक–10.07.2026

**(गरिमा सिंह–।)**
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code–UP06224